[कार्यवाही] अहकाम

[नियम 26]

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

बनवारीलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 LRAct नं० 1A सन् 20/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.1.2022	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम पंचायत शाहपुर मे प्रार्थी बनवारी लाल पुत्र परभाती ग्राम धोकड़ी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी की तीन बहनो के नाम क्रमश: भगोती, हंसो, सन्तरा पुत्रीयान परभाती दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजो मे भगवती देवी, मिसराली देवी, शान्ती देवी पुत्रीयान परभाती दर्ज है। तीनो बहनो को उपरोक्त दोनो नामो से ही जाना जाता है। अत: राजस्व रिकार्ड मे भगोती उर्फ भगवती, हंसो उर्फ मिसराली, सन्तरा उर्फ शान्ती देवी पुत्रीयान परभाती दुरूस्त करने का कथन किया। प्रा.पत्र पर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी की बहनो का नाम दुरस्त करने की अनुशंसा की है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार, ILR शाहपुर एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2071-74 ग्राम शाहपुर के खाता सं. 129, 128, 249, ~~एवं~~ ग्राम धोकड़ी की जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता सं. 67, 61, 69, 68, मे दर्ज आराजीयात मे जहाँ-जहाँ प्रार्थी की बहनो के भगोती, हंसो, सन्तरा पुत्रीयान परभाती का अंकन है वहाँ भगोती उर्फ भगवती, हंसो उर्फ मिसराली ~~एवं~~ सन्तरा उर्फ शांती देवी पुत्रीयान परभाती दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम TDR जारी हो। पत्रावली फैसल दाखिल [illegible] हो।	

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)